निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 901) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

20 जुलाई 2015

सं० 22 नि0 सि0(राँ0)–15–01/2009/1624—श्री शशि भूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जलपथ प्रमण्डल, बरही (झारखंड) जब उक्त प्रमंडल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा उक्त प्रमंडल अंतर्गत मरम्मति एवं सम्पोषण कार्यों में अनियमितता बरती गयी। श्री पाण्डेय की सेवा कैडर बंटवारा के उपरान्त बिहार राज्य आवंटित होने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखंड द्वारा उक्त अनियमितता से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को भेजते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। जल संसाधन विभाग, झारखंड से प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1596 दिनांक 29.12.09 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री पाण्डेय से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त निम्न आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गयेः–

(1) चौपारण अनुमंडलीय शिविर अन्तर्गत निर्मित विभिन्न आवासों एवं शौचालयों का मरम्मति कार्यों में सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के बिना रू0 66,853/– (छियासठ हजार आठ सौ तिरपन रूपये) मात्र अनियमित रूप से अधिकाई व्यय किया गया।

(2) बक्शा मुख्य नहर के चेन सं0 176.00 से 245.00 तक जंगल एवं तल सफाई कार्य में अनियमित भुगतान किया गया।

(3) बक्शा शाखा नहर के चेन सं0 26.00 से 56.00 तक सेवा पथ के मुरम कार्य में प्रथम दृष्टया 46,760/– रूपये के गबन का मामला बनता है।

(4) बक्शा डैम का जीर्णोद्धार से संबंधित निम्नांकित कार्यों में अनियमित एवं फर्जी भुगतान किया गयाः–
   (क) डैम सेवा पथों में मुरम कार्य
   (ख) डैम स्लोप में बोल्डर पीचिंग कार्य
   (ग) स्टोन मेटल फिल्टर का कार्य
   (घ) मिट्टी भराई कार्य

(5) अंजनवा डैम मरम्मति से संबंधित निम्नांकित कार्यों के विभिन्न मदों में अनियमितता बरतते हुए अनियमित भुगतान किया गयाः–
   (क) डैम सेवा पथ एवं एप्रोच रोड में मुरम कार्य
   (ख) बोल्डर पीचिंग कार्य

(ग) स्टोन मेटल फिल्टर कार्य
(घ) डैम फील कार्य

(6) अंजनवा जलाशय योजना के स्पीलवे के निम्न धार में क्षतिग्रस्त गाईड बाल का मरम्मति कार्य में निम्न अनियमितता बरती गयी–
(क) गाईड बाल के पूर्णरूपेण मरम्मति की पुष्टि नहीं होती
(ख) दो गाईड बाल के बीच भू स्तर पर बोल्डर पीचिंग कार्य की मात्रा को किये गये कार्य की तुलना में अधिक मापी एवं स्टोन मेटल फिल्टर कार्य में अनियमित भुगतान किया गया।

(7) इन कार्यों के अतिरिक्त अंजनवा एवं बक्शा नहर में कुछ विभागीय रूप से भी निम्न अनियमित कार्य कराये गये–
(क) अंजनवा नहर के सेवा पथ चेन 0 से 35 के बीच बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति एवं आदेश के मुरम का कार्य कराकर 46,010/– रूपये का अनियमित भुगतान किया गया।

उपर्युक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1315 दिनांक 28.11.12 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं0 4 (क), 4 (ग), 4 (घ), 5 (क) एवं 7 (क) प्रमाणित पाये गये हैं। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 130 दिनांक 14.01.15 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पाण्डेय से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गयेः–

आरोप सं0–4 (क)–डैम सेवा पथ में मुरम कार्य – चेन सं0 0.0 से 75 के बीच 9 ईंच मोटाई में मुरम बिछाने का प्राक्कलन स्वीकृत है परन्तु विपत्र 10 ईंच का बनाया गया है। उड़नदस्ता जाँच के दौरान चेन सं0 0 से 21.25 एवं 23 से 54 के बीच 2 ईंच मोटाई में मुरम बिछाया पाया गया। चेन सं0 54 से 75 के बीच कहीं भी मुरम नहीं पाया गया। इस प्रकार इस मद में 2.71,402/– रूपये का अनियमित भुगतान किया गया।

आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान– उक्त आरोप के संबंध में श्री पाण्डेय द्वारा मुख्य रूप से द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में निम्न तथ्य दिये गये–

(1) इस सेवा पथ के चेन 0 से 21.25 तक लगातार, 23 से 48 चेन के बीच मात्र 15 चेन, 48 से 54 चेन लगातार एवं 54 से 75 चेन लगातार कुल 63.25 (21.25 + 15 + 6 + 21) चेन में कार्य कराया गया।

(2) उड़नदस्ता जाँच में 0 से 54 चेन के बीच 52.25 चेन में कार्य पाया गया है जबकि क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि 54 चेन तक 42.25 चेन में ही कार्य कराया गया है। स्पष्टतः जाँच दल द्वारा अंकित 10 चेन से 54 चेन के बाद की हो सकती है।

(3) उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा मात्र उपरी तौर पर बिना वास्तविक नापी लिए एक अनुमान व्यक्त किया गया है जो आरोप की पृष्ठभूमि बन गया। यदि ऐसा नहीं होता तो 16 आरापों में से मात्र 5 पर ही आंशिक संदेह व्यक्त नहीं किया जाता।

(4) वास्तव में तथ्य यह है कि चेन 0 से लगातार मापी लिए बिना चेन 54 का प्वाईंट स्थापित करना लगभग असंभव था। मात्र प्राक्कलन एवं मापी में इस अंश के अलग अंकित होने के कारण Speculative तौर पर इस अंश में कार्य नहीं होने की बात उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

(5) उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा वास्तविक नापी से संबंधित कोई अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे 54 से 75 चेन के बीच कार्य नहीं कराये जाने का आरोप बिना आधार के होने का बल मिलता है। विशेषकर जब 0 से 54 के बीच 42.25 चेन में कराये गये कार्य को 52.25 चेन में कराये जाने का संज्ञान लिया गया है।

(6) उपरोक्त से स्पष्ट है कि 54 से 75 चेन के बीच कुछ भी नहीं पाये जाने का आरोप असंगतिपूर्ण है तथा वास्तव में इस लम्बाई में कार्य कराया गया था जो आंशिक रूप से ही सही उड़नदस्ता दल द्वारा कुल 52.25 चेन की लम्बाई में कार्य कराये जाने के प्रतिवेदन से प्रमाणित होता है।

समीक्षाः–जब चेन सं0 0.00 से 75.00 के बीच मुरम बिछाया गया था और जाँच टीम ने दो वर्ष के बाद भी जब चेन सं0 0.00 से 54.00 तक मुरम बिछा हुआ पाया परन्तु चेन सं0 54.00 से 75.00 के बीच कहीं भी मुरम नहीं देखा गया, से स्पष्ट है कि बिना मुरम डाले हुए कार्य का भुगतान कर दिया गया। अतएव आरोप सं0 4 (क) प्रमाणित होता है।

आरोप सं0 4 (ग):– स्टोन मेटल फिल्टर का कार्य – स्वीकृत प्राक्कलन में चेन सं0 10.50 से 14.00 के बीच 117.24 घनमीटर स्टोन मेटल के प्रावधान के विरूद्ध 129.00 घनमीटर का भुगतान किया गया है। परन्तु उड़नदस्ता जाँच के दौरान कार्य स्थल पर स्टोन मेटल बिछाया हुआ नहीं पाया गया। इस प्रकार इस मद में 1,05,352/– रूपये का अनियमित भुगतान किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयानः—ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की पृष्ठभूमि जो बोल्डर आपूर्ति एवं बिछाई से Linked है, पर भ्रमवश ध्यान नहीं दिया गया जो आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप का कारण बना। वास्तव में स्टोन मेटल फिल्टर की मापी में चेनेज अंकित करना भूलवश छूट गया था। स्वीकृत प्राक्कलन के मद सं0 6 में यह चेनेज अंकित था। साथ ही मद सं0 7 में इस स्टोन मेटल के उपर बोल्डर बिछाई की मापी में भी चेनेज दिया हुआ था, जो स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होगा। आरोप सं0 4 (ख) जो 10.50 से 14.00 चेनेज के बीच विभिन्न पैचेज में बोल्डरा आपूर्ति को लेकर अप्रमाणित पाया गया है तो इसके नीचे स्टोन मेटल फिल्टर की Engineering आवश्यकता को देखते हुए इस कार्य की प्रमाणिकता पर संदेह करना Judicious प्रतीत नहीं होता है।

समीक्षाः—प्राक्कलन के मद सं0 6 में 10.50 से 14.00 चेन के बीच 8 पैचेज में स्टोन मेटल फिल्टर का प्रावधान किये जाने की पुष्टि होती है। साथ ही मापीपुस्त मद सं0 6 में भी 8 लगभग सदृश पैचेज में स्टोन मेटल फिल्टर कार्य को मापी की प्रविष्टि की पुष्टि होती है। जिसमें चेनेज उल्लेखित नहीं है जिसे आरोपित पदाधिकारी ने भूलवश छूट जाने का बयान दिया है। साथ ही मद सं0 7 में उन्हीं 8 पैचेज के उपर बोल्डर पीचिंग का प्रावधान एवं प्रविष्टि की गई है। इससे स्पष्ट है कि 10.50 से 14.00 के बीच स्टोन मेटल फिल्टर कार्य का भुगतान किया गया है परन्तु उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में प्राक्कलन में वर्णित चेन के आलोक में प्रविष्ट कार्य स्थल पर कार्य हुआ नहीं पाये जाने का उल्लेख है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा मापीपुस्त में अतिरिक्त कार्य होने से संबंधित अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मापीपुस्त के आधार पर कार्य होने की पुष्टि होती है परन्तु उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा कार्य स्थल पर स्टोन मेटल बिछाया हुआ नहीं पाया गया। अतएव आरोप सं0 4 (ग) प्रमाणित होता है।

आरोप सं0 4 (घ):—मिट्टी भराई कार्य – डैम के चेन सं0 0—10.50, 50—54 (दोनों स्लोप) एवं 54—75 के बीच (दायाँ स्लोप) में 1 फीट 6 ईंच की मोटाई में 2036.25 घनमीटर मिट्टी कार्य कराने का प्राक्कलन स्वीकृत है। परन्तु भुगतान 2344.70 घनमीटर का किया गया है। उड़नदस्ता जाँच के दौरान पाया गया कि स्थल पर कार्य नहीं कराया गया है। अतएव इस मद में बिना कार्य कराये ही 1,90,132/— रूपये का अनियमित भुगतान किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयानः—आरोपित पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप सं0 4 (घ) के संबंध में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में निम्न तथ्य दिये गयेः—

(1) मरम्मति कार्यों का प्राक्कलन एक अनुमान्य पर बनाया जाता है जिसमें कार्य कराते समय थोड़ा बहुत विचलन स्वभाविक एवं व्यावहारिक भी है। स्थलीय स्थिति के अनुसार कार्यपालक अभियंता के सज्ञान में यह कार्य कराया गया एवं उनके स्तर से विपत्र पारित कर समायोजित किया गया।

(2) कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं निधि आवंटन मार्च, 07 के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में मिली जिससे कार्य कराने की कम अवधि उपलब्ध थी।

(3) 31.03.07 तक की सीमित अवधि में विभागीय रूप में कराये गये इस कार्य के भुगतान को सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के लिए रोक रखे जाने से आवंटन व्ययगत हो जाती।

(4) कार्य कराते समय इस प्रकार की अधिकाई का आकलन समय की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण संभव नहीं था। विपत्र अंकित करने पर इसकी जानकारी हुई। प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराने पर बहुत सारे रेन कट्स एवं साईड स्लीप पूर्णतः नहीं भरे जाते। इस प्रकार अधूरे मरम्मत से उद्धेश्य पूरा नहीं होता।

(5) कार्यपालक अभियंता का दायित्व था कि लेखा समायोजन के पूर्व/क्रम में उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर लेते अथवा अतिरिक्त व्यय की राशि सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के विरूद्ध Misc. P.W. Advance में डाल देते।

(6) इस वृद्धि का सक्षम स्तर से बिना स्वीकृति के भुगतान का आरोप सहायक अभियंता पर स्थापित करना तर्क संगत एवं Judicious प्रतीत नहीं होता है।

समीक्षाः— आरोपित पदाधिकारी को विपत्र समर्पित करने के पूर्व मात्रात्मक वृद्धि की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था। स्वीकृत मात्रा से अधिकाई मात्रा का बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति का भुगतान नियमानुकूल नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार प्राक्कलित मात्रा से 308.45 (2344.70 — 2036.25) घनमीटर अधिक मिट्टी कार्य का भुगतान करने में नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए प्रक्रियात्मक त्रृटि की गई है। अतएव आरोप सं0 4 (घ) प्रमाणित होता है।

आरोप सं0 5 (क):—डैम सेवा पथ एवं एप्रोच रोड में मुरम कार्य – इस मद में चेन 0—42 एवं एप्रोच पथ (14 चेन) में कुद 6 ईंच के मोटाई में मुरम डालने संबंधी कार्य हेतु 991.22 घनमीटर की स्वीकृत मात्रा के विरूद्ध 1101.77 घनमीटर का भुगतान किया गया है जबकि उड़नदस्ता जाँच क्रम में कराये गये कुल कार्य की मात्रा 122.25 घनमीटर पायी गयी जिसकी राशि 22,401/— रूपये होती है जिसके विरूद्ध 2,01,364/— रूपये का भुगतान किया गया है। इस प्रकार इस मद में 1,78,963/— रूपये का अनियमित भुगतान हुआ है।

आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयानः—आरोपित पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप के संबंध में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में निम्न तथ्य दिये गयेः—

(1) मात्र दो दिनों में उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा 25 से ज्यादा कार्यों का निरीक्षण एवं स्थलीय जाँच किया गया है जबकि मात्र एक डैम स्थल के विभिन्न कार्यों की मापी लेकर जाँच करने में 3—4 दिन लग सकते हैं।

(2) सूचना के अधिकार के तहत स्थल जाँच में ली गई सभी मापियों की सत्यापित प्रति की मांग किये जाने पर ''मांगी गयी सूचना संबंधित संचिका में उपलब नहीं है'' की सूचना दी गयी। इससे स्पष्ट है कि जाँच दल द्वारा वास्तविक मापी न लेकर अनुमान के आधार पर आँकड़े प्रतिवेदित किये गये।

(3) स्थल पर मुरम का कार्य हुआ, यह अप्रमाणित नहीं है। मुटाई की संदिग्धता के आधार पर आरोप आंशिक प्रमाणित पाया गया जो स्वयं संदिग्ध है।

समीक्षाः— डैम प्रभाग एवं एप्रोच पथ में कुल 5600 फीट में प्राक्कलन के अनुसार 6 ईंच मुटाई में मुरम कार्य करने एवं मापीपुस्त से उक्त लम्बाई में 7 ईंच मुरम कार्य की मापी की प्रविष्टि किये जाने की पुष्टि होती है। जाँच दल द्वारा मात्र 4200 फीट में एक ईंच मुरम पाया गया है। दो वर्षों के कालान्तर में आवागमन जारी रहने पर क्षरण स्वाभाविक है। परन्तु दो वर्षों के अन्तराल में 7 ईंच से घटकर एक ईंच हो जाने को स्वाभाविक नहीं माना जा सकता है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा 14 चेन की लम्बाई में उड़नदस्ता जाँच दल के स्थलीय जाँच में कार्य नहीं पाये जाने के संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव आरोप सं0 5 (क) प्रमाणित होता है।

आरोप सं0 7 (क):— अंजनवा नहर के सेवा पथ चेन 0 से 35 के बीच बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति एवं आदेश के मुरम का कार्य कराकर 46,010/— रूपये का अनियमित भुगतान किया गया है क्योंकि उड़नदस्ता जाँच दल के स्थलीय जाँच के दौरान इस प्रभाग में 3 ईंच मोटे मुरम की जगह मात्र एक ईंच मोटा मुरम पाये जाने का उल्लेख किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा का जवाबः— कार्यों की मात्रा ज्यादा रहने एवं समय मात्र 15—20 दिन रहने के कारण विभागीय रूप से कार्य कराने हेतु एक कार्य पर दर्जनों छोटे अभिकर्ता/पेट्टीदार/मेठ लगे अभिकर्ता/पेट्टीदार/मेठ की संख्या अधिक रहने के कारण उनसे अलग—अलग प्राप्त विपत्रों के भुगतानोपरान्त समेकित रूप से फॉर्म 136 पर विपत्र बनाया गया। जिसपर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किया गया एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा विपत्र पारित किया गया।

समीक्षाः— उक्त कार्य कराया गया है, भुगतान भी की गई है किन्तु समय की कमी के कारण निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। चूँकि कार्य विभागीय रूप से कराया गया है अतएव द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों/साक्ष्यों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब आरोप सं0 4 (क), 4 (ग), 4 (घ) तथा 5 (क) अस्वीकार योग्य एवं आरोप सं0 7 (क) स्वीकार योग्य अर्थात आरोप सं0 4 (क), 4 (ग), 4 (घ) तथा 5 (क) प्रमाणित होता है। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः—

(1) निन्दन वर्ष 2006—07

(2) दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशि भूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, बरही (झारखंड), सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, सारण नहर अंचल, छपरा को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता हैः—

(1) निन्दन वर्ष 2006—07

(2) दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 901-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in